

कठूमर जिला अलवर

उपखण्ड

2/12/18

तारीख रजु.....

बनाम सुरज

र व तारीख
प जो इस हुक्म
ल में जारी हुए

क्र	हुक्म या कार्यवाही मय इतिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
118	<p>नकील जमीन उपस्थित भट्ट जगदल जमीन के नकील के कुल वाड के लिए पेश किया। उर्ज पत्रिका को उपर जगदल नकील पत्रिका के अन्त के लिए जमाने उपर कुल मंस व मुदिया का जमाने एवं उर्जा पेश जमीन के पेश के पत्रिका जमीन होता है।</p> <p>उर्ज: उर्जा के जमाने अन्तरीक अन्तरीक गिने व सा अन्तरीक गिने पेश नर पावण्ड गिने जमाने, उर्जा को अन्तरीक सं 542, 553, 556, 559, 126, 128, 133, 156, 157, 541/1040 वाके जमाने नर उर्जा में जमीन के पेश के जमाने में मजालक नहीं है।</p> <p>उर्जा के नकील है कि उर्जा अन्तरीक वी पालक में कार्य उर्जा है जो दिनांक 26/11/18 के पेश करे कि संके न उर्जा अन्तरीक को दाका के नकील नर (नकील का दिनांक जमाने) उर्जा जमाने नकील बलबल है। फलवली दिनांक 26.11.18 को पेश करे।</p>	<p>309 11-10-18</p>

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

31/10/23

सुभाष चंरीकेन एच०/ए.ए.
...
सापली विनांक 5/12/23
को पेश हो।

६

5/12/23

सुभाष चंरीकेन एच०/ए.ए.
...
सापली विनांक 2/12/23
को पेश हो।

21/3/24

वकील साहू उपाधिन । सापल द्वारा प्रस्तुत जमा
दस्तावेज के सही तथ्य के इस जमा के ही कि
आपनी बसबा नकल को जमा पीपल के
हमील कदम में स्थित है सापल 215 हिस्से
का बंधन खानेवा काश्तकार है कुल 215 हिस्से
शांतिपुरी काश्तकार रहे (काश्तकार है) जो सापल
का उक्त आपनी से कोई संबंध के लोका (कि)
जमा का नहीं है जो सापल की जमा लोगों के बंधन
में काश्त सापल को लगे को पोशान का (है ही)
सापल को 215 हिस्से में शांतिपुरी काश्तकार
जमा करने में कदम के प्रकाशत पैदा करा है
जबल कदम करने की कोशिश करता है
आज जो सापल अपने नापान बंधन के काश्तकार
होगा तो सापल को नापान होने वाली सति
मुकाम है जिसकी प्रति लंबे समय नहीं है
सापली पत्र सापल दर्ज रजि० किया जागा
जो सापल को जमा में गोपीम उलक किया
जाया । दिनांक 17.3.2020 को जो सापल नापान

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>तामिल उपायिनी नहीं आगे उनके विरुद्ध एकापक्षीय कार्यवाही नगल के लक्षि गिरी अपने पत्रावली के शकों प्रस्तुत राजन-रेगाई का कवलोका छिया विद्वान आवेकता सापल की एकपक्षीय वदम सुदी विद्वान आवेकता सापल ने अपने प्रार्थना पत्र के शकों को दोषाते इसे प्रार्थना-पत्र स्वीकार छिये जाने का निवेदन छिया है यदि गैरसापल को पाकट नहीं छिया जाय तो गैरसापल सापल को उकर आगरी मे केदखल कर सजा है गैरसापल को पाकट छिये जाने से उ-हे छिरी तरह का उकरान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की क्षति असलत के कारणसस नहीं है। प्रथम छिदृष्टा केम व सुविधा का अनुदान 1/5 का प्रति होने वाली क्षति सापल के पत्र में साबित है अतः प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र अक्षिप्त स्वीकार छिया जाकर गैरसापल को सा जेमला दावा असुविधि निवेधान से पाकट छिया जाता है छि पत्रावली पर जारी सूटे आदेश दिनांक 11/10/2018 मूल पत्र के निस्तान एक कनक छिया जाता है। पत्रावली माल सुका होकर नगल के मय होकर मूल पत्र के माल सलित छि सु-म</p>	

SAD

20/10/18